झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

संचिका सं0-03/कृ0रा0यो0-20/2015 19 रांची, दि0:- 27-4-15

प्रेषक,

डा0 नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: वित्त (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग।

विषय: राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में "राज्य औषधीय मिशन" योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देशय से पूर्व से संचालित जिलों में जैविक खेती की विकास की योजनान्तर्गत पूर्व में चयनित कृषकों के निजी भूमि पर स्थापित औषधीय इत्यादि फसलों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु किसानों को प्रशिक्षण, सिचाई सुविधा, निर्जलीकरण इकाई, मृदाजल संधारण एवं फसल सुरक्षा के जैविक पदार्थ तथा कीट व्याधि रोधी बीज उत्पादन इकाई हेतु **रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़) मात्र** की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल **रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़) मात्र** की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित बजट शीर्ष से की जायगी:- (रूपये लाख में)

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्य शीर्ष-2401- फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष-A7- राज्य औषधीय मिशन हेतु अनुदान विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)**01P240100796A70679**	50.00
2	मुख्य शीर्ष-2401- फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष-108-वाणिज्यिक फसलें उपशीर्ष-A7- राज्य औषधीय मिशन हेतु अनुदान विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)**01P240100108A70679**	40.00
3	मुख्य शीर्ष-2401- फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-A7- राज्य औषधीय मिशन हेतु अनुदान विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 79- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)**01P240100789A70679**	10.00
	योग	**100.00**

(रूपये एक करोड़) मात्र

3. इस योजना का कार्यान्वयन संकूल अवधारणा(cluster based concept)के आधार पर कराया जाएगा। जिस हेतु लाभुक/लाभुक समूह की स्थापना कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप कराया जायेगा। कार्य योजना में पूर्व के लम्बित योजनाओं को पूर्ण करने के उपरांत नई योजना सम्मिलित की जायेगी।

5. इस योजनान्तर्गत उप निदेशक, उद्यान, रांची को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है, जिनके द्वारा रांची कोषागार, रांची से अनुदानित राशि की निकासी करते हुए झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार, झारखण्ड को विधिवत् हस्तांतरित किया जाएगा।

6. झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार द्वारा कालक्रम में राज्य औषधीय मिशन का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा।

7. योजना के कार्यान्वयन एवं लेखा संबंधित व्यय का संधारण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार, के स्तर से किया जायेगा।

8. योजना के नियंत्रण पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार, रांची होगें।

9. योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी। राशि का विचलन अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा, जिस हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

10. स्वीकृति राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दि0–17.04.98 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 118 दिनांक 12.01.07 एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु की जाएगी।

11. योजना के कार्यान्वय के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या–3172 दिनांक– 25.10.2012 के आलोक में पंचायतीराज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। योजना का कार्यान्वयन समाप्त होने के उपरान्त तृतीय पक्ष मूल्याकंन कराया जायेगा एवं एतद संबधी प्रतिवेदन कृषि एवं गन्ना विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. वित्तीय विभाग के परिपत्र सं0–759/वि0, दि0–20.03.2015 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के आलोक में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :

स्वीकृत्यादेश सं0 एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
33/25.06.2013(2013–14)	100.00लाख	राशि का व्यय नहीं हो पाने के कारण निकासी की गई राशि ब्याज सहित ट्रेजरी चालान के माध्यम से संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कर दिया गया हैं।

14. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0–301 दिनांक–11.03.2015 के कंडिका–9.4 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप निर्गत किया जा रहा है।

15. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/27/4/15

02/03

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 19 राँची, दिनांक 27-4-15

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव,वित्त विभाग, झारखण्ड राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

सरकार के सचिव।

2.

प्रतिलिपिः 19

ज्ञापांकः राँची, दिनांक 27-4-15

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ उप निदेशक (योजना)/अवर सचिव (योजना), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड राँची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/निदेशक उद्यान, झारखण्ड, रांची/निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड राँची/संयुक्त कृषि निदेशक, राँची, हजारीबाग एवं दुमका/उप निदेशक उद्यान, राँची/सहायक निदेशक उद्यान, हजारीबाग एवं दुमका/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी जिला उद्यान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

3